तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
10/11/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०/वकील प्रतिवादी उप०/प्रतिवादी w. 03 व 04 का जवाब आदिनांक तथा अनुपस्थित प्रतिवादी सं. 03 व 04 को जवाब का अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 20/01/2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	
20/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. सहज चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर दशारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/5/23 को पेश हो।	
7/02/2023	C/No. 17/2019 (289/2006) अजम v/s नन्दू वकील वादी श्री रामदेव कुमार द्वारा दिनांक 23/1/23 को वादमित्र लालाल उर्फ श्योलाल की ओर से प्रा०पत्र अन्तर्गत द्वारा 151 CPC वास्ते पत्रावली तलब कर प्रत्याहरण करने बाबत पेश करने तथा दिनांक 31/01/2023 को वादिया विमला पुत्री बंशीलाल की ओर से प्रा०पत्र अन्तर्गत द्वारा 151 CPC वास्ते पत्रावली तलब कर प्रत्याहरण करने बाबत पेश करने से पत्रावली नियत तिथी से पूर्व आज तलब की गई। वकील वादी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है वे अब वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं। हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी गई तथा प्रा०पत्रों का अवलोकन किया गया। वाद प्रत्याहरण की सहमति के पक्षकारान विमला, लालाल के हस्ताक्षर अंगूठा तथा नन्दु व गवाह बंशीलाल के हस्ताक्षर अंकित कराये गये। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर Note Prepare अंकन किया गया। अतः वकील वादी की बहस तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा होजाने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली चैपल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	लालाल बंशीलाल विमला नन्दु विमला लालाल Note Prepared 17.2.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:47 IST
Reason: SelfAttested